

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2011—आषाढ़ 21, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्र. 15865 वि.स.-विधान-2011.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०११

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०११ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा १२९ का स्थापन.

“१२९.(१) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जाएगी और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक पंचायतों की संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे तथा उसका पर्यवेक्षण करेंगे. पंचायतों की संपरीक्षा.

- (२) पंचायतों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की, वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएंगे.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १२९ में यह उपबंध है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पृथक् एवं स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन द्वारा की जाएगी. तदनुसार, राज्य में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जा रही है.

२. तेरहवें वित्त आयोग ने, अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जानी चाहिए और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायतों की संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और उसका पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए. तत्पश्चात पंचायतों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ विधान सभा के पटल पर रखी जानी चाहिए.

३. तेरहवें वित्त आयोग की उपरोक्त सिफारिशों की दृष्टि से, यह विनिश्चय किया गया है कि मूल अधिनियम की धारा १२९ में यथोचित संशोधन किया जाए.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ६ जुलाई, २०११

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.